गुरूनाम सिंह बनाम सुखदेव

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या : 2014/00177

11.11.2022	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने श्रीमान् की अदालत से केस नम्बर 100/4 दिनांक 04.07.2005 को एक तरफा डिक्री बून्दी जिले के सायंकालीन अखबार में साया करवाकर एक तरफा प्राप्त कर ली थी । प्रतिपक्षीगण क्योंकि पंजाब में रहते हैं इस कारण प्रतिपक्षीगण को ज्योहि यह सूचना मिली कि सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने एक तरफा डिक्री प्राप्त कर ली है और वह उसके आधार पर उक्त जमीन को बेचान करना चाहते हैं । प्रतिपक्षीगण पंजाब से कोटा आये और फाईल का निरीक्षण करवाया तथा इसके तुरन्त पश्चात् ही प्रार्थीगण की ओर से एक तरफा डिक्री सेटअसाईट करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रकरण संख्या 3/07 दिनांक 19.12.2008 का एक तरफा डिक्री सेटअसाईट करवा ली गई जिसमे खिलाफ सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने राजस्व मण्डल में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका नम्बर 922/09 दिनांक 26.03.2014 को रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलान्ट सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने दौरान अपील पटवारी से सांठगांठ कररके उक्त खसरा नम्बर 759/1 की रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 759/2 की 17 बीघा 03 बिस्वा भूमि को अपने नाम करवा लिया जबकि प्रतिपक्षीगण की ओर से दौरान अपील पटवारी व तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था कि प्रार्थीगण ने एक तरफा डिक्री को सेटअसाईट करने का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का व तहसीलदार ने गलत गैर कानूनी व अवैधानिक रूप से खाते में सुखदेव सिंह व हरिजिन्द्र सिंह का नाम अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है व अवैधानिक होने से राजस्व रिकॉर्ड से उनका नाम डिलीट किया जोने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह द्वारा गैर कानूनी व अवैधानिक रूप से अपने नाम खाते से इन्द्राज करवा लिया है जिसे तुरन्त डिलिट किये जाने का तहसीलदार के0 पाटव व पटवार हल्का ग्राम भीया को आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2005 के द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री पारित की गई थी । अप्रार्थीगण द्वारा इजराय पेश की गई और उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई । उसके बाद प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा जब इजराय पेश की गई तब वादग्रस्त आराजी के

सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय से स्थगन पारित किया हुआ नहीं था । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन के न्यायालय में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.2004 के द्वारा खारिज कर दिया गया । उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2004 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2005 के द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री पारित की गई थी । अप्रार्थीगण द्वारा इजराय पेश की गई और उक्त आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई । प्रार्थी ने अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में कोई तिथि अंकित नहीं की है कि किस दिनांक को अप्रार्थीगण द्वारा आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज की गई । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया कि प्रकरण में किसी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभावी था जिससे अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना किया जाना साबित हो । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष चाहा है उसमें भी सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह का नाम डिलीट करने के आदेश हेतु प्रार्थना की गई है । इस प्रकार प्रार्थी कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमाननना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा